आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ

पत्रांक...109 (आ०)...दिनांक...16.05.2022

प्रेषक,

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ, अररिया, कटिहार एवं किशनगंज।

पूर्णियाँ, दिनांक......................

विषय :– असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा चिकित्सकों की अनियमित प्रतिनियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ के बारे में समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि उनके द्वारा चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस संबंध में उनसे पृच्छा करने पर उन्होंने बताया कि उनके द्वारा चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इस संबंध में सरकार का यह स्पष्ट निर्णय है कि यह शक्ति उन्हें प्रदत्त नहीं है और राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उन्हें इसके बारे में संसूचित भी किया गया है। इस संबंध में इस मामले की समीक्षा कर उन्हें नियमानुकूल कार्रवाई करने का निदेश देने के पश्चात उनके द्वारा चिकित्सकों की की गई प्रतिनियुक्ति को रद्द कर संसूचित किया गया।

2. फारबिसगंज अनुमंडल के निरीक्षण के पश्चात रेफरल अस्पताल फारबिसगंज के निरीक्षण के दौरान भी कुछ लोगों द्वारा यह शिकायत की गई कि अररिया जिले में भी चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा की गई है। उनके द्वारा यह भी मॉग की गई कि पूरे प्रमंडल में समरूप तरीके से राज्य सरकार का यह आदेश लागू किया जाना चाहिए। उनका यह मॉग सही पाया गया है कि पूरे प्रमंडल में असैनिक शल्य चिकित्सकों द्वारा की गई अनियमित प्रतिनियुक्ति पर रोक लगाई जाय।

3. अतः इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि अपने जिले में इस प्रकार की गई अनियमित प्रतिनियुक्तियों की समीक्षा कर ली जाय। यदि इस प्रकार चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा की गई है तो उसे समाप्त करने की कार्रवाई की जाय और कृत कार्रवाई से अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

16/5/22

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।